

पोत परिवहन मंत्रालय

कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीन दयाल पोर्ट हुआ

Posted On: 26 SEP 2017 4:41PM by PIB Delhi

जहाजरानी मंत्रालय ने कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर (25 सितंबर, 2017 से लागू) दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट करने से संबंधित आदेश जारी किया है। कच्छ के रण में स्थित कांडला पोर्ट ट्रस्ट देश के 12 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। मंत्रालय के आदेशानुसार, केंद्रीय सरकार ने भारतीय पोर्ट अधिनियम, 1908 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के आधार पर कांडला का नाम संशोधित कर दीन दयाल किया है।

कांडला बंदरगाह पर विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मई महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सुझाव दिया था कि कांडला पोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट कर देना चाहिए। पंडित दीन दयाल उपाध्याय समाज के गरीब और कमजोर तबकों के विकास के लिए समर्पित रहे। सालभर तक चलने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्मशती समारोह के समापन के अवसर पर जहाजरानी मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया।

वीके/जेके/डीए- 3931

(Release ID: 1504069) Visitor Counter: 19









in